तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/606/2004/भीलवाड़ा** **महाराणा प्रताप बनाम रामस्वरूप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री ओ.एल. दवे, अभिभाषक प्रार्थी।

श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक 30–1–2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम करेड़ा में स्थित आराजी खसरा नंबर 4210 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने तथा उसके बदले में अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 9109/7054 रकबा 2 बीघा में से 1 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी खसरा नंबर 4215 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा बाद जांच एव हल्का पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपने पत्र क्रमांक एफ. 12–12 (4) आर.ए./99/TT दिनांक 21–8–2003 द्वारा उक्त भूमि नियमानुसार विनिमय नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर दिया गया। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21–8–2003 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–1–2004 द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–2003 को निरस्त कर ग्राम करेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के आराजी खसरा नंबर 4210 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा का विनिमय अप्रार्थीगण के खातेदारी . खसरा नंबर 4215 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा से स्वीकार कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 4215 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/606/2004/भीलवाड़ा** **महाराणा प्रताप बनाम रामस्वरूप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गैर मुमकिन बंजड़ को अप्रार्थीगण के खाते में अंकित करने किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–2004 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण ने भूमि का विनिमय करने के लिए जिला कलेक्टर के यहां कार्यवाही की है। जबकि इस संबंध में क्षेत्राधिकार सहायक जिलाधीश को है तथा राज्य सरकार की कीमती आराजी का विनियम साधारण भूमि से कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि यह यह दो खातेदारों के बीच भूमि के नियमन का प्रकरण नहीं है, अपितु सरकारी भूमि से निजी खातेदार द्वारा भूमि के विनियम की प्रार्थना की है, ऐसे में जिलाधीश को कोई अधिकार नहीं है और विनिमय करने का अधिकार केवल मात्र राज्य सरकार को है। उनका यह भी कथन है कि जिस समय विनियम किया गया, उस समय भी कब्जा प्रार्थी संस्था का था। प्रार्थी इस संबंध में खसरा परिवर्तित निर्धारण वर्ष संवत् 2007, संवत् 2003–04 बाबत् खसरा नंबर 4210 प्रस्तुत किया है, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का न तो कब्जा था और न ही वह विनिमय का पात्र था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान को अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। उनका यह भी कथन है कि विनिमय में दी जाने वाली एवं विनियम में ली जाने वाली दोनों भूमियां एक ही श्रेणी या वर्गीकरण की नहीं है। क्योंकि खसरा नंबर 4210 तो मौके पर एक मगरी के रूप में है, जिस पर काश्त नहीं की जा सकती है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–1–2004 निरस्त किया जावे एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–2003 बहाल रखा जावे। 5– अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को बिना कोई कारण अंकित किये तथा विस्तृत निर्णय के अभाव में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के नियम 12 में अंकित सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर दी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 48 एवं 49 के अनुसार मूल अधिनियम के ध्येय एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करके अप्रार्थी द्वारा चाही गई राजकीय भूमि का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/606/2004/भीलवाड़ा** **महाराणा प्रताप बनाम रामस्वरूप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विनिमय उसके पक्ष में करके मूल अधिनियम के ध्येय एवं उद्देश्यों की अनदेखी करते हुए सूक्ष्म रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया था, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 21–8–2003 को निरस्त करते हुए आराजी के विनियम का आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे। 6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी मृतक रामस्वरूप द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 के तहत विनिमय करने हेतु ग्राम करेडा की बिला नाम भूमि आराजी नंबर 4210 किस्म गैर मुमकिन खातेदारी हक से तथा इसकी एवज में खातेदारी की भूमि आराजी नंबर 9109/7054 की 2 बीघा एवं आराजी नंबर 4215 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा को बिला नाम सरकार दर्ज कराया जाने का निवेदन किया गया। उक्त विनिमय के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया । राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 24कक के अन्तर्गत खातेदारी भूमि को बिला नाम भूमि से विनिमय बाबत प्रावधान अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए । हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बिला नाम भूमि को विनिमय करवाना चाह रहा है । जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा अपने आदेश दिनांक 21–8–2003 द्वारा उक्त भूमि विनियमन नियमानुसार नहीं होने से प्रकरण पत्रित कर दिया गया । राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 24कक के अनुसार एक ही वर्ग के आसामियों द्वारा राज्य सरकार से सीधे भूमि धारण करते हो, भूमि का विनिमय सहमति से स्वीकृत किया जा सकता है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में विनिमय की भूमि बिला नाम का निजी व्यक्ति के भूमि से है, ऐसा विनिमय विधिसम्मत नहीं है। उक्त विनिमय नियमानुसार नहीं होने से जिला कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत तरीके से प्रकरण को पत्रित किया गया किन्तु इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा भूमि का क्षेत्रफल समान, बाजार भाव समान व राज्य सरकार को विनिमय करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना दर्शाते हुए अप्रार्थी की अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । क्योंकि राजकीय भूमि का विनिमय का अधिकार केवल मात्र राज्य सरकार को है । विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र नियमानुसार नहीं होने से पत्रित किया गया, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/606/2004/भीलवाड़ा** **महाराणा प्रताप बनाम रामस्वरूप**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित निर्णय इसी आधार पर निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार योग्य है। 8— उक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 23—1—2004 निरस्त किया जाकर जिला कलेक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 21—8—2003 यथावत रखा जाता है । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	